प्रेषक,

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत मथुरा।

सेंवामें,

उपनिदेशक
जिला पंचायत, अनुश्रवण कोष्ठक,
पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।

पत्राँक 943/जि0पं0म0/2024–25 दिनाँक 12/12/24

विषय– **जिला पंचायत, मथुरा में लागू/प्रभावी लाईसेंस उपविधि की सत्यापित कापी प्रेषण के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि आप द्वारा जिला पंचायत मथुरा में लागू/प्रभावी लाईसेंस उपविधि की सत्यापित कापी चाही गयी है ।

उक्त के अनुपालन में जिला पंचायत मथुरा में लागू/प्रभावी लाईसेंस उपविधि की सत्यापित कापी पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है ।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें ।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

भवदीय,
12.12.24
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, मथुरा ।

(11)

रजिस्टर्ड नं० एल० डब्लू०/एन० पी०—

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०—41

(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 7 जनवरी, 1995 ई० (पौष 17, 1916 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड-पत्र, खण्ड-क—नगर प्रशासन, खण्ड-ख—नोटिफाइड एरिया और टाउन एरिया, खण्ड-ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ—पंचायती राज।

खंड-क—नगर प्रशासन

31 दिसम्बर, 1994 ई०

सं० एल०बी०सी०/अधि/रि०—22 (93–94) 324—नगर पालिका अधिनियम, 1916 की उपधारा 128–ए के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका परिषद्, गोण्डा द्वारा अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण नियमावली, 1989 बनाई गयी है। इस उपविधि को उक्त ऐक्ट की धारा 300 की उपधारा (1) के अन्तर्गत उन व्यक्तियों, जिन पर इसका प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित की जाती है। आपत्तियां एवं सुझाव इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के 15 दिन के अन्दर आयुक्त, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद के कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकते हैं। नियत अवधि के बाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझाव पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

उपविधियां

नगर पालिका परिषद्, गोण्डा के सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण कर नियमावली, 1989।

1—नगर पालिका परिषद्, गोण्डा अपनी सीमा के अन्दर यू० पी० अधिनियम, 1916 की धारा 128–ए के अन्तर्गत अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण पर कर लगाती है।

2—इन नियमावली का नाम नगर पालिका परिषद्, गोण्डा अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण कर कहा जायेगा।

3—इस कर को सरकारी गजट में अन्तिम रूप से प्रकाशित होने के दिनांक से लागू किया जायेगा।

4—यह कर नगर पालिका परिषद्, गोण्डा की सीमा के अन्दर प्रभावी होगा।

5—इस नियमावली में, प्रयुक्त सभी शब्दों की परिभाषा वही होगी, जो यू० पी० पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 128–ए में परिभाषित है।

6—इण्डियन स्टाम्प ऐक्ट, 1899 के तहत नगर सीमा के अन्दर यदि कोई अचल सम्पत्ति किसी व्यक्ति द्वारा

छाया प्रति प्रमाणित

12.12.24

अपर मुख्य अधिकारी

जिला पंचायत, मथुरा

दूसरे व्यक्ति को किसी भी रूप में हस्तान्तरित की जाती है, तो देय स्टाम्प शुल्क की [illegible] प्रतिशत [illegible] धन नगर पालिका परिषद्, गोण्डा [illegible] न्तरण [illegible] के नाम से अनिवार्य रूप से किया जायेगा [illegible] निबन्धक, तहसील गोण्डा उक्त [illegible] प्राप्त करेंगे।

7--इण्डियन स्टाम्प ऐक्ट, 1899 के अन्तर्गत उपरोक्त गोण्डा नगर परिषद् अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण कर से एकत्रित धन नगरपालिका परिषद्, गोण्डा को राज्य सरकार के बताये गये तरीके के अनुसार गोण्डा रजिस्ट्री कार्यालय या इस विभाग के लखनऊ स्थित मुख्यालय से नगर-पालिका परिषद्, गोण्डा को प्रति मास हस्तान्तरित कर दिया जायेगा।

8--इण्डियन स्टाम्प ऐक्ट, 1899 की धारा 61 के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद्, गोण्डा [illegible] सम्मिलित माना जायेगा।

9--इस उपविधि में किसी भी प्राविधान के बारे में नियत प्राधिकारी/आयुक्त यदि सन्तुष्ट है कि उपविधि के किसी भी प्राविधान का दुरुपयोग नगर परिषद् द्वारा किया जा रहा है अथवा कोई प्राविधान उपविधि में नहीं है तो उस प्राविधान को नियमित करने हेतु [illegible] का अधिकार नियत प्राधिकारी/आयुक्त को होगा।

10--इस उपविधि में लगाये गये शुल्क की वसूली [illegible] जाती है तो उस स्थिति में ठेके का [illegible] नियत प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।

राजेन्द्र [illegible] कौशिक,
आयुक्त,
फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।

खण्ड--घ--पंचायतीराज

29 दिसम्बर, [illegible]

सं० 348/[illegible]-3(8)(93-94)--उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 239 (2) के खण्ड (क) और (ख) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग [illegible] जिला पंचायत, मथुरा ने अपनी सीमा में आने वाले ग्रामीण क्षेत्र में लगने वाली या चलने वाली फैक्ट्रियों को नियमित करने हेतु पूर्व में आयुक्त, आगरा मण्डल द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या 5398/[illegible]-0 (4)(88-89), दिनांक 18 [illegible] 1990 में संशोधन किया है, जिसे [illegible] आगरा द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 242(4) के अन्तर्गत संशोधन की पुष्टि करते हुए प्रकाशित किया [illegible] संशोधित उपविधियां प्रकाशन की तिथि से लागू होंगी।

संशोधित उपविधियां

वर्तमान फैक्ट्रियों के नाम	दर	संशोधित फैक्ट्रियों के नाम	दर
	रु०		रु०
1--साड़ी उद्योग	500.00	1--साड़ी उद्योग जिसमें छपाई आदि शामिल है	1000.00
2--कोल्ड स्टोरेज	1000.00	2--कोल्ड स्टोरेज	5000.00
3--आईस फैक्ट्री	500.00	3--आईस फैक्ट्री	1000.00
4--साबुन उद्योग	1000.00	4--साबुन उद्योग	2000.00
5--पशुओं के पुर्जे बनाने की फैक्ट्री	2000.00	5--मशीनों के पुर्जे बनाने की फैक्ट्री	2000.00
6--चीनी मिट्टी के बनाने की मिल	500.00	6--चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने की मिल	2000.00
7--गत्ते की पैकिंग बनाने की मिल	500.00	7--गत्ते, पैकिंग, कागज गत्ता आदि बनाने की मिल	2000.00
8--दूध का पाउडर व अन्य सामग्री बनाने की मिल	1000.00	8--दूध का पाउडर, दूध एकत्र कर ठंडा एवं दूध से अन्य सामग्री बनाने की फैक्ट्री	5000.00
9--पत्थर की रोड़ी तोड़ने की मिल	1500.00	9--पत्थर की रोड़ी तोड़ने की मिल	2000.00

(10)

क्रम संख्या	वर्तमान फैक्ट्रियों के नाम	दर	संशोधित फैक्ट्रियों के नाम	दर	
		रु०		रु०	
10	सुर्खी पीसने की मिल	1000.00	10—सुर्खी पीसने की मिल	2000.00	3000
11	सीमेन्ट कंकरीट पाईप बनाने की मिल	2000.00	11—सीमेन्ट कंकरीट पाईप बनाने की फैक्ट्री	5000.00	7500
12	चमड़े की ट्रेनिंग फैक्ट्री	1000.00	12—चमड़े की फैक्ट्री जिसमें रंगाई सफाई एवं अन्य सामान बनाया जाता हो शामिल होगा।	2000.00	3000
13	बिटुमन तथा उससे सम्बन्धित सामान बनाने की फैक्ट्री	2000.00	13—बिटुमन तथा सम्बन्धित सामान बनाने की फैक्ट्री	2000.00	3000
14	लोहे को टैंक बनाने की मशीन मिल	5000.00	14—लोहे के टैंक बनाने की फैक्ट्री	10000.00	15000
15	तेल निकालने की मिल	5000.00	15—वनस्पति, रिफाइण्ड अथवा तेल निकालने तथा तेल रिफाइण्ड करने की मिल	5000.00	7500
16	तेल शोधक कारखाना जिसमें डीजल, पेट्रोल, मेंट्रो गैस आदि का भण्डारण भी शामिल है	100000.00	16 तेल शोधक कारखाना जिसमें डीजल पेट्रोल, मेंट्रो गैस आदि का भण्डारण भी शामिल है	100000.00	150,000
17	गैस सिलेण्डर बनाने की फैक्ट्री	5000.00	17 गैस सिलेण्डर बनाने की फैक्ट्री	10000.00	15000
18	कोलतार के ड्रम बनाने की फैक्ट्री/कारखाना	2000.00	18 कोलतार के ड्रम बनाने की फैक्ट्री/कारखाना	2000.00	3000
19	रसायन दवा उद्योग	2000.00	19 रसायन बनाने का उद्योग	2000.00	3000
20	सीमेन्ट मिल	2000.00	20 सीमेन्ट बनाने का कारखाना	2000.00	3000
21	बिजली सम्बन्धी उपकरण बनाने की मिल/फैक्ट्री	2000.00	21 बिजली सम्बन्धी उपकरण बनाने की फैक्ट्री	2000.00	3000
22	सिन्थेटिक फैक्ट्री	2000.00	22 कपड़ा बनाने का कारखाना/मिल जिसमें सभी प्रकार का कपड़ा शामिल है।	5000.00	7500
23	प्लास्टिक पाईप फैक्ट्री	1000.00	23 प्लास्टिक पाईप तथा अन्य प्लास्टिक सम्बन्धी सामान बनाने की फैक्ट्री	2000.00	3000

छाया प्रति प्रमाणित

12.12.24

क्रम संख्या	वर्तमान फैक्ट्रियों के नाम	दर	क्रम संख्या	संशोधित फैक्ट्रियों के नाम	दर
		रु०			रु०
24	घुंघरू कंठी माला आदि बनाने की मिल	1000.00	24	घुंघरू, कंठी, माला बनाने की मिल/कारखाना	1000.00
			25	दवाई बनाने की फैक्ट्री	2000.00
			26	धागा बनाने की फैक्ट्री/कारखाना	5000.00
			27	टीन/कन्टेनर बनाने की फैक्ट्री	2000.00
			28	धान, चावल मिल/कारखाना	5000.00
			29	रबड़ फैक्ट्री जिसमें रबड़ से सम्बन्धित सामान बनाया जाता है	2000.00
			30	लोहे से पाइप बनाने की मिल	2000.00
			31	नल टोटी व अन्य सामान बनाने की फैक्ट्री	2000.00
			32	रंग बनाने की फैक्ट्री	2000.00
			33	डीजल पेट्रोल आदि का भण्डारण	25000.00
			34	डिटर्जेन्ट पाउडर, वाशिंग पाउडर वाशिंग सोडा बनाने की फैक्ट्री	2000.00
			35	फायर ब्रिगेड गाड़ी व उसके पुर्जे बनाने की फैक्ट्री	5000.00
			36	गैस सिलेण्डर आदि के पार्ट्स बनाने की फैक्ट्री	2000.00
			37	तेल, तारकोल आदि ढोने वाले ट्रक/टैंकर की मरम्मत एवं बाडी बनाने का उद्योग	1000.00
			38	आटा चक्की बनाने तथा उसके पार्ट्स बनाने की फैक्ट्री/कार०	5000.00
			39	घरेलू गैस सिलेण्डर (खाना बनाने) का गोदाम/भण्डारण	5000.00
			40	पोलीथिन की थैली बनाने की फैक्ट्री/कारखाना	2000.00
			41	पान मसाला, पान पराग, कत्था चूना, सुपारी आदि बनाने की फैक्ट्री/कारखाना	2000.00
			42	लोहे की जाली बनाने की फैक्ट्री	3000.00

छाया प्रति प्रमाणित 12.12.24

क्रम-संख्या	वर्तमान फैक्ट्रियों के नाम	दर	प्रस्तावित फैक्ट्रियों के नाम	दर	
		रु०		रु०	
43			कारखाना बनाने एवं उससे सम्बन्धित सामान बनाने की फैक्ट्री/कारखाना	2000.00	3000
44			रेडीमेड कपड़े बनाने की फैक्ट्री	4000.00	6000
45			लोहे, पीतल की प्लेट आदि बनाने की फैक्ट्री	2000.00	3000
46			ट्रक, ट्रैक्टर, स्कूटर, जीप, टैम्पो, मोटर साइकिल आदि के पार्ट्स बनाने की फैक्ट्री जिसमें [illegible] भी शामिल हैं।	2000.00	3000
47			बिस्कुट, [illegible] ब्रेड आदि बनाने की फैक्ट्री	500.00	750
48			शुगर मिल	10000.00	15000
49			[illegible] एवं [illegible] सामग्री बनाने की मिल/फैक्ट्री	2000.00	3000
50			पैट्रोकैमिकल उद्योग	50000.00	75000
51			रेस्टोरेन्ट या होटल	2000.00	3000
52			जिस्तक पाइप फैक्ट्री / Steel Pipe	20000.00	
53			होटल जिसमें ठहरने की व्यवस्था हो	3000.00	5000
[illegible]			[illegible] फैक्ट्री/कारखाना	[illegible]	
55			[illegible] बनाने का कारखाना	500.00	750
56			[illegible] फैक्ट्री/कारखाना	500.00	750
57			[illegible]	500.00	750
58			[illegible]	[illegible]	

Elc 6/dT 1000

6/dT 2000

Hotel [illegible]

[illegible] Motel, Kosi Restaurant = 5000

[illegible] (Vasu Barsanagar) 25000

[illegible] 10000

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा [illegible] में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, मथुरा [illegible] [illegible] को शुल्क [illegible] रुपया [illegible] हो सकता है और [illegible] [illegible] प्रत्येक [illegible] [illegible] रु० 50.00 [illegible] [illegible] 17 तीन [illegible] का [illegible] दिया जायेगा।

नरेश [illegible],

आयुक्त,

[illegible] मण्डल, आगरा।

मुद्रक और प्रकाशक—अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

12.12.2[illegible]

अपर मुख्य अधिकारी

जिला पंचायत, मथुरा

खण्ड घ—जिला पंचायत

13 अक्तूबर, 1998 ई0

सं0 51/इकका/-3 (7)-93-94—उ0 प्र0 क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की 239 (2) (ज) (ठ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके जिला पंचायत, मथुरा ने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अपने नियंत्रणाधीन पशु मेलों, पशु बाजारों, पशु पैंठों अथवा पशु प्रदर्शनियों को नियंत्रित व विनियमित करने हेतु निम्नलिखित उपविधियां बनायी हैं, जिनकी पुष्टि आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा द्वारा की गयी है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 242 (2) के प्रयोजनार्थ प्रकाशित की जाती है।

परिभाषायें

1—ग्रामीण क्षेत्र का तात्पर्य उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 में दी गई परिभाषा से है।

2—पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ अथवा पशु प्रदर्शनी का तात्पर्य उस स्थल से है, जहां जिला पंचायत किसी व्यक्ति अथवा किसी संस्था (जिसमें धार्मिक संस्था भी सम्मिलित है) शामिल है, द्वारा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में क्रय-विक्रय अथवा प्रदर्शनी हेतु पशु लाए जाते हैं।

3—पशु का तात्पर्य सभी जाति एवं श्रेणा के पशुओं से है।

4—रजिस्ट्रेशन अधिकारी का तात्पर्य उस वयस्क व्यक्ति से है, जिसे लाइसेन्स अधिकारी ने जिला पंचायत द्वारा स्थापित पशु मेलों, पशु बाजरों, पशु पैंठों अथवा पशु प्रदर्शनियों में पशुओं की बिक्री लिखने एवं शुल्क उगाही हेतु रसीद जारी करने निमित्त नियुक्त किया है। निजी पशु मेलों, पशु बाजारों, पशु पैंठों एवं पशु प्रदर्शनियों में उसके संचालक अथवा प्रबन्ध की संस्तुति पर उपरोक्त प्रयोजन हेतु लाइसेन्स अधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति रजिस्ट्रेशन अधिकारी माना जायेगा।

12.12.24

...का तात्पर्य उस वयस्क व्यक्ति से है, जिसे ...पंचायत के लाइसेन्सिंग अधिकारी द्वारा पशु मेलों ... बाजारों, पशु पैंठों एवं पशु प्रदर्शनियों में दलाली कार्य ...तु अधिकृत किया गया हो।

6—ठेकेदार का तात्पर्य भी उस वयस्क व्यक्ति से है, ...से जिला पंचायत में किसी पशु मेलों, पशु बाजारों, ...शु पैंठों एवं पशु प्रदर्शनी हेतु ठेके की शर्तों के अनुरूप ...यति अवधि के लिए प्रबन्ध के निमित्त अधिकृत किया हो।

उपविधि भाग-1

1—प्रत्येक व्यक्ति जो जिला मथुरा के ग्रामीण क्षेत्र ...में कोई पशु मेलों पशु बाजारों पशु पैंठों एवं पशु प्रदर्शनी ...आयोजित करना चाहता है को इन उप विधियों का पालन ...रना अनिवार्य होगा।

2—पशु मेला; पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी के संचालक अथवा उपके द्वारा नियुक्त मैनेजर या अधिकृत एजेन्ट के लिए बाजार में आए हुए व्यक्तियों के ठहरने जानवरों हेतु चारा-पानी सफाई तथा रोशनी का प्रबन्ध व रख-रखाव स्वयं करना होगा।

3—पशु मेला पशु बाजार, पशु पैंठ एवं प्रदर्शनी के प्रबन्धों का निरीक्षण समय-समय पर जिला पंचायत के अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। सफाई एवं बिक्री हेतु लाये गए खाद्य पदार्थों की जांच का कार्य चिकित्सा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किया जायेगा। अधिकारियों द्वारा जांच में इंगित कमियों को तुरन्त दूर करना संचालक प्रबन्धक मैनेजर अथवा एजेन्ट के लिए अनिवार्य होगा।

4—एक से अधिक दिन तक चलने वाले पशु मेला; पशु बाजार पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी में व्यापारियों एवं जनता की सुविधा हेतु शौचालय एवं मूत्रालय की व्यवस्था व सफाई कराना संचालक मैनेजर प्रबन्धक अथवा एजेन्ट के लिए अनिवार्य होगा।

5—जिला पंचायत के अध्यक्ष अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता कार्य-अधिकारी कर अधिकारी, क्षेत्रीय अवर अभियन्ता, कर निरीक्षक, स्वास्थ्य विभाग के उप मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रभारी चिकित्साधिकारी स्वास्थ्य एवं खाद्य निरीक्षक के अतिरिक्त अध्यक्ष जिला पंचायत अथवा लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा अधिकृत कोई भी कर्मचारी किसी भी समय निरीक्षण कर सकता है।

6—नये पशु मेले पशु बाजार पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए शान्ति व्यवस्था सम्बन्धी पुलिस विभाग की आख्या प्राप्त होने के उपरान्त जिला पंचायत के लाइसेन्स अधिकारी द्वारा लाइसेन्स प्रार्थना-पत्र पर विचार किया जायेगा।

7—नये पशु मेला पशु बाजार ... पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी लगवाने के लिए यह अनिवार्य होगा कि प्रारम्भ करने की तिथि से एक माह (तीस दिन) के पूर्व जिला पंचायत के लाइसेन्स प्राप्त कर लेगें। लाइसेन्स की अवधि 1 अप्रैल, से 31 मार्च होगी।

8—किसी पशु मेला पशु बाजार पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी के स्थल से 8 किमी के अन्दर किसी दूसरे पशु मेले पशु बाजार पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी लगाने हेतु लाइसेन्स नहीं दिया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि यह नियम उपविधि के लागू होने से पूर्व से आयोजित हो रहे पशु मेलों, पशु बाजार, में पशु पैंठों एवं पशु प्रदर्शनियों पर प्रभावी नहीं होगा।

9—नए वर्ष का लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु अनिवार्य होगा कि 30 अप्रैल तक लाइसेन्स शुल्क जमा कर नया लाइसेन्स बनवा लिया जाय अथवा तीन सौ रुपया प्रति माह अथवा दस के किसी भाग का विलम्ब शुल्क जमा करके ही लाइसेन्स प्राप्त किया जा सकेगा। लाइसेन्स नवीनीकरण में भी यही विधि अपनाई जायेगी, परन्तु लाइसेन्स नवीनीकरण हेतु दिए गए प्रार्थना-पत्रों में लाइसेन्स संख्या, दिनांक तथा दिए गए लाइसेन्स शुल्क का विवरण अंकित करना होगा।

10—जो पशु मेले, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी पूर्व से लग रही हैं, उनके संचालन को इन उपविधियों के प्रकाशन के एक माह के अन्दर लाइसेन्स बनवा लेना होगा अन्यथा उपनियम संख्या-9 के अनुसार विलम्ब शुल्क जमा करने पर ही लाइसेन्स जारी किया जायेगा। प्रतिबन्ध यह है कि ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित पशु मेले पशु बाजार; पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी पर लगाये गये विलम्ब शुल्क को किसी स्थिति तक कम करने अथवा समाप्त करने का विशेषाधिकार अध्यक्ष जिला पंचायत को होगा।

11—अपर मुख्याधिकारी, जिला पंचायत, मथुरा इन उपविधियों के अन्तर्गत लाइसेन्स अधिकारी होगा।

उपविधि भाग-2

1—कोई भी व्यक्ति, जिले के ग्रामीण क्षेत्र में किसी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी में किसी भी पशु का क्रय-विक्रय रजिस्ट्रेशन अधिकारी द्वारा उसकी बिक्री की रजिस्ट्री कराये बिना नहीं कर सकेगा।

2—पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी के स्वामी अथवा संचालक द्वारा अधिकृत व्यक्ति जिला पंचायत के लाइसेंसिंग अधिकारी की अनुमति से

12.12.24

रु० 250 एक वार्षिक रजिस्ट्रेशन शुल्क देकर रजिस्ट्रेशन अधिकारी नियुक्त हो सकता है।

3--(अ) निजी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी के स्वामी का दायित्व होगा कि रजिस्ट्रेशन अधिकारी नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति का पूरा ना सहित पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र के साथ प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करे। ऐसे रजिस्ट्रेशन अधिकारी का पारिश्रमिक स्वामी, संचालक अथवा ठेकेदार की आपसी सहमति से तय होगा। प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा पारिश्रमिक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत निर्धारित दर से कम न होगा।

(ब) जिला पंचायत द्वारा संचालित पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी में नियुक्त जिला पंचायत के कर्मचारी यदि रजिस्ट्रेशन अधिकारी का कार्य सौंपा जाता है तो वह एक रुपया प्रति पशु की दर से पारिश्रमिक प्राप्त करेगा। ऐसे कर्मचारियों को दैनिक भत्ता, यात्रा भत्ता या अन्य कोई पारिश्रमिक देय न होगा।

4--रजिस्ट्रेशन अधिकारी प्रत्येक पशु की बिक्री की रजिस्ट्री पशु देखकर तथा साक्ष्य लेकर ही करेगा।

5--किसी भी पशु की रजिस्ट्री सूर्योदय के पूर्व और सूर्यास्त के पश्चात् नहीं की जा सकती।

6--रजिस्ट्रेशन अधिकारी प्रत्येक पशु की बिक्री पर रजिस्ट्री करते समय एक प्रतिशत क्रेता एवं एक प्रतिशत विक्रेता से पूरे मूल्य पर शुल्क वसूल करेगा, जो किसी भी दशा में रु० 20.00 से कम नहीं होगा। प्रतिबन्ध यह है कि जिला पंचायत को विशेष संकल्प द्वारा इन उपविधियों में किसी भी प्राविधान के बावजूद रजिस्ट्रेशन शुल्क को स्थानीय परिस्थितियों के कारण बढ़ा देने अथवा कम कर देने का अधिकारी होगा।

7--किसी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी के प्रबन्धक द्वारा उपविधि के नियमों अथवा निरीक्षण के आदेशों का पालन न करने पर संचालक या प्रबन्धक को एक माह की नोटिस दी जायेगी और उसके उपरान्त भी प्रबन्ध ठीक नहीं होता है तो लाइसेंसिंग अधिकारी की संस्तुति पर अध्यक्ष जिला पंचायत द्वारा उक्त पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ अथवा पशु प्रदर्शनी को नियत तिथि से अपने प्रबन्ध में लेने की अधिसूचना जारी की जायेगी और जिला पंचायत द्वारा स्वयं अथवा ठेके पर उक्त का प्रबन्ध किया जायेगा। प्रतिबन्ध यह है कि उक्त अवधि तीन वर्ष से अधिक न होगी, किन्तु अपवादित स्थितियों में जिला पंचायत को विशेष संकल्प से यह अवधि बढ़ाई जा सकती है।

...त व्यवस्था में होने वाली आय में से ... पंचायत द्वारा निर्धारित प्रबन्धकीय व्यय काटकर अवशेष निजी प्रबन्धक अथवा संचालक को वापस ... जायगी।

8--जिला पंचायत द्वारा नियुक्त ठेकेदार को किसी भी दशा में उपविधियों द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क वसूल करने का अधिकार नहीं होगा।

9--रजिस्ट्रेशन अधिकारी प्रत्येक पशु की बिक्री का प्रमाण-पत्र अपने हस्ताक्षर से क्रेता को उ० प्र० पुलिस रेगुलेशन के नियम 183 (2) के अन्तर्गत पुलिस फार्म-54 में भरकर देगा तथा उसका प्रतिपर्ण अपने पास सुरक्षित रखेगा। यदि किसी पशु का दूध पीता बच्चा साथ में हो तो एक ही बिक्री प्रमाण-पत्र पर्याप्त होगा। एक प्रतिपर्ण पर एक ही पशु की रजिस्ट्री की जायेगी।

10--पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी के संचालक तथा प्रबन्धक के लिए यह अनिवार्य होगा कि उ० प्र० पुलिस रेगुलेशन के नियम 183 (2) में निर्धारित पुलिस फार्म-54 पुस्तकें, जिला पंचायत कार्यालय से निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात् प्राप्त करके पशुओं के रजिस्ट्रेशन हेतु प्रयोग में लायेगा और पुस्तकों के प्रतिपर्ण जिला पंचायत कार्यालय में जमा करेगा। यह शर्त ठेकेदार के ऊपर भी यथावत् लागू होगी।

11--पशु मेला, पशु बाजार पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी के संचालक या प्रबन्ध अथवा ठेकेदार के लिये आवश्यक होगा कि पशुओं के रजिस्ट्रेशन तथा शर्तों की सूचियां रजिस्ट्रेशन के बैठने के स्थान पर चिपका दें।

12--कोई भी व्यक्ति जिला पंचायत द्वारा संचालित अथवा निजी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी के संक्रामक रोग से पीड़ित पशु को नहीं ला सकेगा। एतदर्थ नियुक्ति जिला पंचायत के अधिकारी अथवा निजी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ अथवा पशु प्रदर्शनी संचालक/प्रबन्धक को अधिकार होगा कि संक्रामक रोग से ग्रसित किसी भी पशु का प्रवेश न करने दे अथवा स्थल से बाहर निकाल दें।

13--कोई भी व्यक्ति या संस्था निर्धारित फीस देकर वर्णित अवधि के लिए जिला पंचायत से लाइसेन्स प्राप्त किये बिना पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी का आयोजन नहीं कर सकेगा।

14--पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी के लिये निम्नांकित लाइसेंस शुल्क देय होगा।

	रु0
(1) वर्ष में एक बार 01 से 15 दिन तक लगातार लगने वाले पशु मेले के लिए लाइसेन्स शुल्क	5000.00 वार्षिक
(2) वर्ष में एक बार 15 दिन से अधिक किन्तु 30 दिन तक लगातार लगने वाले पशु मेले के लिये लाइसेंस शुल्क	10,000.00 वार्षिक
(3) वर्ष में एक बार 30 दिन से अधिक अवधि के लिये लगातार लगने वाले पशु मेले के लिये लाइसेन्स शुल्क	15,000.00 वार्षिक
(4) सप्ताह में एक बार लगने वाली पशु बाजार, पशु पैंठ का लाइसेन्स शुल्क	2000.00 वार्षिक
(5) सप्ताह में दो या अधिक बार लगने वाली पशु बाजार, पशु पैंठ का लाइसेन्स शुल्क	4000.00 वार्षिक
(6) वर्ष में एक बार 15 दिन तक लगातार लगने वाली पशु प्रदर्शनी का लाइसेन्स शुल्क	2000.00 वार्षिक
(7) वर्ष में एक बार 15 दिन से अधिक लगातार लगने वाली प्रदर्शनी का लाइसेन्स शुल्क	4000.00 वार्षिक

उपविधि भाग—3

1—जिला पंचायत द्वारा पशु मेलो, पशु बाजारों, पैंठो एवं पशु प्रदर्शनियों क्रेता एवं विक्रेता के बीच [illegible] स्थापित कराने हेतु चौधरी अथवा दलाल का [illegible] लाइसेन्स दिया जायेगा। ऐसे चौधरी तथा दलाल निम्नांकित शर्तों के अधीन लाइसेन्स प्राप्त करेंगे और कार्य करेंगे।

[illegible] कोई भी वयस्क एवं स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति [illegible] चौधरी या दलाल का कार्य करने हेतु लाइसेन्स प्राप्त कर सकेगा [illegible]

2—[illegible] रु0 250.00 वार्षिक शुल्क अदा करने पर ही लाइसेन्स अधिकारी द्वारा चौधरी तथा दलाल का लाइसेन्स दिया जायेगा।

3—चौधरी तथा दलाल प्रत्येक पशु की बिक्री पर निम्न प्रकार कमीशन पाने का अधिकारी होगा। उक्त कमीशन क्रेता एवं विक्रेता द्वारा आधा-आधा दिया जायेगा :

(अ) पशु के रु0 100.00 तक मूल्य पर	रु0 0.50
(ब) पशु के रु0 1000.00 तक मूल्य पर	रु0 2.00
(स) पशु के रु0 1000.00 से ऊपर मूल्य पर	रु0 5.00

4—जिला पंचायत द्वारा नियुक्त कोई चौधरी/दलाल अपनी नियुक्ति के पशु मेला पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी से 30 किमी0 के अन्दर अन्य किसी पशु मेला पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी में चौधराहट या दलाली नहीं कर सकेगा। अन्यथा उसकी चौधराहट/दलाली लाइसेन्स अधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

उपविधि भाग—4

1—जिला पंचायत मथुरा द्वारा संचालित पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी में सार्वजनिक मार्ग के किनारे पशुओं के लदान व उतरान के लिये अड्डों की व्यवस्था करेगी।

2—निजी स्वामित्व में लगने वाले पशु मेला पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी के निकट सार्वजनिक मार्ग के किनारे पशुओं के लदान एवं उतरान हेतु अड्डे की व्यवस्था जिला पंचायत द्वारा ही किया जायेगा।

3—यातायात की सुरक्षा तथा मेले में ट्रैफिक की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिये अड्डों के पास वाहनों का पार्किंग स्थल निर्धारित किया जायेगा। पशुओं के लदान व उतरान के लिये अड्डे बनाये जायेंगे।

4—जिला पंचायत अड्डों की स्थापना एवं संचालन का कार्य स्वयं, किसी एजेन्सी अथवा ठेकेदार के माध्यम से करेगी। निजी क्षेत्र के पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी में अड्डों की स्थापना, ट्रैफिक व्यवस्था संचालन के कार्य से पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी के स्वामी से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।

12.12.24

2--अड्डों पर लदान एवं उतरान शुल्क निम्न प्रकार देय होगा--

वाहन की किस्म	शुल्क रु०
1. मेटाडोर या छोटा ट्रक खाली	5.00
2. बड़ा ट्रक खाली	10.00
3. छोटा ट्रक या मेटाडोर जिसमें पशु लदे हों	125.00
4. बड़ा ट्रक जिसमें पशु लदे हों	150.00
5. सामान भरा हुआ बैलगाड़ी या खड़खड़ा	5.00
6. खाली बैलगाड़ी या खड़खड़ा	2.00
7. सामान भरा ट्रैक्टर, ट्राली, मेटाडोर तथा छोटा ट्रक	25.00
8. सामान भरा हुआ बड़ा ट्रक	50.00

उपविधि भाग—5

1--पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी में संक्रामक रोगों की रोकथाम तथा रोग ग्रसित पशुओं का प्रवेश निषिद्ध करने के लिए मेलों में आने वाले सभी प्रवेश मार्गों पर चेकिंग की व्यवस्था जिला पंचायत द्वारा की जायेगी।

2--पशुओं की जाच के लिए जिला पंचायत अथवा जिले के पशुधन विभाग द्वारा निर्दिष्ट पशु चिकित्सा दल के प्रमाण-पत्र के पश्चात् ही पशु मेला, पशु बाजार, पशु, पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी में पशुओं को प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।

3—जिला पंचायत द्वारा संचालित पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी में जिला पंचायत अथवा पशुधन विभाग द्वारा चिकित्सा शिविर की स्थापना की जायेगी, जिसमें रोगी पशुओं के उपचार की व्यवस्था होगी।

4—निजी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी के स्वामी को जिला पंचायत के निर्देशानुसार यथोचित व्यवस्था करनी होगी। यदि वह ऐसी व्यवस्था नही करता है तो लाइसेंसिंग अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह जिला पंचायत की ओर से ऐसी व्यवस्था करा सकता है और उस दशा में होने वाले व्यय को सम्बन्धित निजी संचालक से भू-राजस्व के बकाये की भांति वसूल किया जायेगा।

5--पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी में निम्न प्रकार प्रवेश शुल्क देय होगा :

प्रवेश-शुल्क

	प्रति पशु रु०
1--गाय का बछड़ा, भैंस का पाड़ा/पड़िया एवं घोड़ा का बच्चा जिसकी आयु एक वर्ष तक	1.00
2--बकरा, बकरी एवं भेड़	2.00
3--गाय, बैल, भैंस, भैंसा, घोड़ा एवं घोड़ी	2.00
4--ऊंट एवं हाथी	5.00

6--पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी को स्थापित या संचालित करने वाले प्रबन्धक अथवा लाइसेन्स प्राप्त करने वाले व्यक्ति या जिला पंचायत द्वारा नियुक्त ठेकेदार का दायित्व होगा कि—

(क) पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ अथवा पशु प्रदर्शनी स्थल स्वच्छ रखें;

(ख) पशुओं के चारे व पानी की उचित व्यवस्था करायें;

(ग) पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ अथवा पशु प्रदर्शनी में आने वाले व्यापारियों तथा ग्राहकों के लिए स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करायें;

(घ) पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ अथवा पशु प्रदर्शनी में पशुओं को रुकने तथा चारा खाने हेतु स्थल का प्रबन्ध करायें;

(ङ) व्यापारियों के ठहरने के लिये भी समुचित प्रबन्ध करायें;

(च) पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ, एवं पशु प्रदर्शनी स्थल पर प्रकाश एवं सफाई की समुचित व्यवस्था करायें;

(छ) संक्रामक रोगों से बचने के लिए ब्लीचिंग पाउडर एवं डी० डी० टी० का भी समुचित छिड़काव करायें;

(ज) जिला पंचायत के अधिकारियों, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों द्वारा मानव स्वास्थ्य चिकित्सा एवं पशु चिकित्सा के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों का पालन निजी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी के स्वामी को करना अनिवार्य होगा।

उपविधि भाग-6

1--जिला पंचायत द्वारा संचालित पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी में सुविधा के समस्त प्रबन्ध अपर मुख्य अधिकारी द्वारा जिला पंचायत के निर्देशानुसार किया जायेगा।

2--पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी में आई हुई दुकानों आदि का बैठकी की दरें व अन्य शर्तें तहबाजारी नियन्त्रण उपविधि में निर्धारित नियमों के अनुसार की जायेगी।

3--पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी को ठेके पर संचालित करने वाहन अड्डों को संचालित करने अथवा पशु प्रवेश शुल्क की वसूली का कार्य को सम्पादित करने हेतु यदि जिला पंचायत द्वारा ठेका दिये जाने का निर्णय लिया जाता है तो ऐसे ठेकों की नीलामी एक समिति द्वारा की जायेगी, जिसके अध्यक्ष अपर मुख्याधिकारी होंगे और कार्य अधिकारी व वित्तीय परामर्शदाता सदस्य होंगे। यह समिति तहबाजारी नियन्त्रण उपविधि के नियम 5 (1) से (7) तक के उपनियमों का पालन भी इन ठेकों में करायेगी।

4--जिला पंचायत द्वारा संचालित पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी में दुकानों के लगाने का स्थान अपर मुख्य अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी की देखरेख में निश्चित किया जायेगा।

5--निजी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी में लगने वाली दुकानों, पशुओं के ठहरने आदि का स्थान लाइसेन्स आवेदन-पत्र के साथ संलग्न मानचित्र में दर्शाये ढंग से निश्चित किया जायेगा। लाइसेन्स अधिकारी की अनुमति से निजी स्वामी आवश्यकतानुसार स्थान व व्यवस्था में परिवर्तन कर सकता है।

6--निजी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी लगाने हेतु स्वामी को लाईसेन्स प्रार्थना-पत्र के साथ पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी का स्थल, क्षेत्रफल तथा चौहद्दी का पूर्ण विवरण दर्शाते हुए खसरा, खतौनी की नकल के साथ आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना होगा, तभी उस पर विचार किया जायेगा।

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा, वह अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा, जो रु0 1000.00 तक होगा और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थ दण्ड से दंडित होगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के बाद ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिनके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि उसमें अपराधी अपराध करता है, रु0 50.00 प्रतिदिन तक दण्ड लिया जायेगा।

एस0 पी0 गौड़,
आयुक्त,
आगरा मण्डल, आगरा।

पी0 एस0 यू0 पी0-- 34 हिन्दी गजट, भाग 3--1998 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

छाया प्रति प्रमाणित 12.12.24 अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत मथुरा

16 अप्रैल, 2001 ई०

सं० 1550/एक्सटेन-7 (6)-74-75--जिला पंचायत, मथुरा ने आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा की विज्ञप्ति संख्या 315/एक्सटेन-7(6)-74-75, दिनांक 2 नवम्बर, 1992 द्वारा प्रकाशित ग्रामीण क्षेत्रों में ईंट भट्टी, टायल्स, बजरी, चूना तथा सुर्खी आदि सम्बन्धी उपविधियों में उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 यथा संशोधित की धारा 143 के साथ पठित धारा 239 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके निम्नलिखित उपविधियों में संशोधन किया है। अतः मैं, [illegible], आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा उक्त अधिनियम की धारा 242 (2) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके इसकी पुष्टि करते हुए, एतद्द्वारा प्रकाशित करता हूं—

उपविधियां

वर्तमान उपविधियां		संशोधित उपविधियां	
8—शुल्क निम्नलिखित होगा—	रु०	शुल्क निम्नवत् होगा	रु०
(क) चिमनी ईंट भट्टा	2000.00	(क) चिमनी ईंट भट्टा	7000.00
(ख) बिना चिमनी के ईंट भट्टा अनुज्ञा पत्र शुल्क	100.00	(ख) बिना चिमनी के ईंट भट्टा अनुज्ञा पत्र शुल्क	1000.00
(ग) टाइल्स अनुज्ञा पत्र शुल्क	500.00	(ग) टाइल्स अनुज्ञा पत्र शुल्क	2500.00
(घ) चूना या सुर्खी, इंजन की शक्ति द्वारा बनाने या फूंकने का अनुज्ञा-पत्र शुल्क	500.00	(घ) चूना या सुर्खी, इंजन की शक्ति द्वारा बनाने या फूंकने का अनुज्ञा पत्र शुल्क	2500.00
(ङ) चूना या सुर्खी, बैल चक्की द्वारा बनाने या फूंकने का अनुज्ञा पत्र शुल्क	100.00	(ङ) चूना या सुर्खी, बैल चक्की द्वारा बनाने या फूंकने का अनुज्ञा पत्र शुल्क	2500.00

वर्तमान उपविधियां	संशोधित उपविधियां
13—1 अक्तूबर से 30 अक्तूबर तक नवीनीकरण कराने पर 300 रु० का विलम्ब शुल्क जमा करना होगा। उसके उपरान्त लाइसेन्स न लेने पर भट्टे मालिक के विरुद्ध चालान की कार्यवाही की जायेगी।	13—1 अक्तूबर से 30 अक्तूबर तक नवीनीकरण कराने पर 500 रु० का विलम्ब शुल्क जमा करना होगा। उसके उपरान्त लाइसेन्स न लेने पर भट्टे मालिक के विरुद्ध चालान की कार्यवाही की जायेगी।
15—	15—न्यायालय में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय लाइसेन्स फीस, तब तक का विलम्ब शुल्क के साथ जुर्माना निर्धारित करके अभियुक्त से जमा करायेगी जिसमें लाइसेन्स फीस एवं विलम्ब शुल्क जिला पंचायत, मथुरा के जिला निधि खाता में जमा होगा।

शास्ति

उ० प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत, मथुरा यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति, संस्था/फर्म आदि इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा उसे अर्थदण्ड दिया जायेगा जो रु० 1000.00 तक हो सकेगा और उल्लंघन जारी रहा तो अतिरिक्त अर्थदण्ड दिया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में सिद्ध हो जाए अपराधी अपराध करता रहा है, पचास रुपये प्रतिदिन तक हो सकेगा अथवा यदि अपराधी अर्थदण्ड का भुगतान न कर सके तो वह कारावास से दण्डनीय होगा जो तीन मास तक हो सकेगा

12.12.24

13 मार्च, 2003 ई०

सं० 1578/दक्कोस–3 (8)–93–94––जिला पंचायत, मथुरा द्वारा अपने ग्रामीण क्षेत्र में लगने वाली अथवा चलने वाली दुकानों के लिए लाइसेन्स शुल्क की दरें जो पूर्व विज्ञप्ति संख्या 612/दक्कोस–3(8)–93–94, दिनांक 6 दिसम्बर, 1995, जो उ0प्र0 शासकीय गजट में प्रकाशित हुई थी, में जिला पंचायत, मथुरा में उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 239 (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत संशोधित उपविधि बनाई है।

अतः मैं, बी0 एम0 मीना, आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा उक्त अधिनियम की धारा 242 (4) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके इनकी पुष्टि करते हुये एतद्द्वारा प्रकाशित करता हूं। यह उपविधियां प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी :

संशोधित उपविधियां

क्रमांक	नाम	वर्तमान दर	संशोधित दर
1	2	3	4
		रु0	रु0
1	कपड़े एवं रेडीमेट कपड़े की दुकान––		
	(अ) कपड़े की थोक दुकान	100.00	500.00
	(ब) दरी, गलीचा बनाकर बेचना	..	500.00
	(स) कपड़ा एवं रेडीमेड कपड़े की फेरी लगाकर बेचना, जिसमें मोजे, साफा, टोपा, अन्डरवियर, साड़ी, बनियान आदि सम्मिलित हैं	..	150.00
	(द) कपड़े की फुटकर दुकान	50.0	200.00
2	परचून की दुकान––		
	(अ) बड़े स्तर की दुकान	15.00	100.00
	(ब) छोटे स्तर की दुकान	..	50.00
3	हलवाई की दुकान	15.00	100.00
4	भोजनालय/ढाबा––		
	(अ) बड़ा	..	500.00
	(ब) छोटा	25.00	250.00
5	इमारती लकड़ी की दुकान	30.00	100.00
6	लकड़ी टाल	15.00	100.00
7	जूते, चप्पल की दुकान	15.00	100.00
8	जूता, चप्पल फेरी लगाकर बेचने वाले	..	50.00
9	गल्ले की दुकान	30.00	150.00
10	किराना की दुकान	30.00	150.00
11	बर्तन की दुकान	50.00	200.00
12	सोने चांदी के आभूषण की दुकान	50.00	250.00
13	स्टेशनरी, कापी किताबों की दुकान	35.00	150.00
14	मेडीकल स्टोर की दुकान	30.00	200.00
15	चाय, लस्सी की दुकान	15.00	100.00
16	पेट्रोल पम्प, डीजल पम्प	250.00	2000.00
17	नयी साईकिल बेचने की दुकान	50.00	250.00
18	साइकिल मरम्मत की दुकान	10.00	50.00
19	बिसायत खाने की दुकान (जनरल स्टोर)	30.00	100.00
20	कृषि सम्बन्धी मशीनरी की दुकान	40.00	200.00
21	बिजली के सामान तथा मरम्मत की दुकान	50.00	150.00
22	घी तेल की दुकान	20.00	100.00
23	दूध एकत्रित कर बेचने की डेरी	..	1000.00
24	बिस्कुट व टोस बनाकर बेचना (बेकरी)	..	500.00

1	2	3	4
		रु०	रु०
25	साबुन सोडा बनाकर बेचना	..	500.00
26	झाडू कूंचो बनाकर बेचना	..	500.00
27	मिट्टी के तेल, डीजल, क्रूड आयल आदि की दुकान	..	250.00
28	राशन डीलर की दुकान	..	200.00
29	टेलर (दर्जी) की दुकान	10.00	100.00
30	टी०वी०, रेडियो, घड़ी बेचने एवं मरम्मत की दुकान	..	100.00
31	पशुओं घुंघरू, घन्टी आदि बनाकर बेचना	..	100.00
32	लाउडस्पीकर, एम्पली फायर किराये पर उठाने की दुकान	..	50.00
33	चमड़े का बना सामान बेचने की दुकान	..	15.00
34	शराब बेचने की दुकान (देशी व विदेशी)	..	2000.00
35	लोहे या लकड़ी का फर्नीचर बनाकर बेचने की दुकान	..	200.00
36	बीड़ी सिगरेट पान की दुकान	..	100.00
37	कोयला (पत्थर या लकड़ी) बेचने की दुकान	..	150.00
38	लोहे, लकड़ी के बक्सा बेचने की दुकान	..	150.00
39	सीमेन्ट, चूना, बालू, पत्थर आदि बेचने की दुकान/टाल	..	100.00
40	बैल द्वारा क्रेशर चलाकर खांड़ बनाना	..	150.00
41	इंजन द्वारा क्रेशर चलाकर खांड़/गुड़ बनाना	..	300.00
42	घोड़ा, तांगा	19.25	50.00
43	आटा चक्की मशीन	15.00	150.00
44	रुई धुनने की मशीन	10.00	150.00
45	स्पेलर चलाकर तेल निकालना	10.00	250.00
46	कपड़ा रंगाई की दुकान	100.00	150.00
47	फोटोग्राफर की दुकान	..	100.00
48	नाई की दुकान	..	100.00
49	क्रीम निकालने की मशीन	40.00	200.00
50	दूध से पनीर आदि बनाने की दुकान	..	250.00
51	सीमेन्ट से जाली, पाइप, गमला बिल्डिंग सामान बनाना	..	250.00
52	वेल्डिंग मशीन एवं खराद मशीन मरम्मत आदि	..	300.00

1	2	3	4
		रु0	रु0
53	मरम्मत, स्कूटर, ट्रैक्टर, ट्रक एव कार तथा हवा भरने की मशीन आदि	..	100.00
54	फोटो स्टेट की दुकान	..	100.00
55	एस0टी0डी0/पी0सी0ओ0 की दुकान	..	100.00
56	ट्रैक्टर/ट्रक मरम्मत की दुकान	..	200.00
57	ट्रक, टैंकर की बाडी बनाना/मरम्मत		500.00
58	गांजा, भांग की दुकान	..	500.00
59	समस्त प्रकार के बीज की दुकान	..	100.00
60	समस्त प्रकार के खाद की दुकान	..	150.00
61	ऊन व उससे बने हुए सामान	..	100.00
62	फल, सब्जी आदि की दुकान	..	50.00
63	नर्सिंग होम	..	1000.00
64	डाक्टर की दुकान	..	500.00
65	खाट व कुर्सी बनाने की दुकान	..	50.00
66	कुर्सी, मूढ़ा (सरकण्डे से बने हुए) अन्य सामान एवं टोकरे	..	50.00
67	रूई बेचने की दुकान	..	50.00
68	सेनेट्री के सामान की दुकान	..	250.00
69	गैस सिलेण्डर की ऐजेन्सी/दुकान, जिसमें गैस चूल्हा व इससे सम्बन्धित सामान बेचना आदि	..	500.00
70	बारदाने की दुकान	..	100.00
71	ट्रक, ट्रैक्टर, स्कूटर, जीप, टैम्पो, मोटर साइकिल आदि के पार्ट्स बेचने की दुकान	..	100.00
72	मशीन के पुर्जे आदि बेचने की दुकान	..	100.00
73	हार्डवेयर की दुकान	..	100.00
74	लकड़ी आरा मशीन की दुकान	..	125.00
75	उपरोक्त के अतिरिक्त समस्त प्रकार की अन्य दुकान	..	100.00
76	अन्य समस्त प्रकार की फेरी वाले	..	50.00

बृज मोहन बोना,
आयुक्त,
आगरा मण्डल, आगरा।

कार्यालय, निदेशक पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश

12.12.24

रूपराम सिंह	राजस्व निरीक्षक	7454?22430	सम्बद्ध
	स0 राजस्व निरीक्षक	9456?7918	जनपद

कार्यालय आयुक्त आगरा मण्डल, आगरा ।

संख्या–245/इक्कीस–वि0सहा0–8(3)2/2013–14, दिनांक: अक्टूबर 27, 2017

जिला पंचायत, मथुरा ने उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा–239 (2) के अधीन अपनी सीमान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों मे ठेकेदारी कराने हेतु पंजीकरण पर लागू उपविधियों की दरों में संशोधित उपविधियाँ बनाई हैं । अतः मैं के0राममोहन राव, आयुक्त, आगरा मण्डल आगरा उक्त अधिनियम की धारा 242 (2) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके इन संशोधित उपविधियों की पुष्टि करते हुए एतद्द्वारा प्रकाशित करता हूँ । यह उपविधियाँ गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी।

जिला पंचायत, मथुरा ने उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 239 (2) ज (क) के अधीन अपनी सीमान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ठेकेदारी करने वाले ठेकेदारों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से निर्मित उपिविधयों जो 24.06.1995 द्वारा पुष्टिकृत करके प्रभावित की गयी है, की दर अनुसूची में संशोधन किया है । यह संशोधन इस विज्ञप्ति के राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा ।

क्र0सं0	श्रेणी/विवरण	वर्तमान शुल्क (रू0)	संशोधित शुल्क (रू0)
1.	प्रथम श्रेणी (दस लाख रू0 से ऊपर)	1500.00रू0 प्रतिवर्ष	3000.00रू0 प्रतिवर्ष
2.	द्वितीय श्रेणी (पॉच लाख से दस लाख तक)	800.00 रू0 प्रतिवर्ष	1500.00रू0 प्रतिवर्ष
3.	तृतीय श्रेणी (एक हजार से पॉच लाख तक)	500.00रू0 प्रतिवर्ष	1000.00रू0 प्रतिवर्ष

दण्ड

उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 240 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, मथुरा यह आदेश देती है कि इस उपविधि के उल्लघंन पर अर्थदण्ड दिया जायेगा, जो मु0 1000.00रू0 तक हो सकता है और जब ऐसा उल्लघंन जारी रहे तो अतिरिक्त दण्ड से दण्डित होगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि जिसमें अपराधी अपराध करता रहा है, तो मु0 50.00 रू0 प्रतिदिन देना पडेगा, यदि अर्थदण्ड का भुगतान न किया गया तो तीन माह का कारावास दिया जायेगा ।

(के0राममोहन राव)
आयुक्त,
आगरा मण्डल, आगरा ।

संख्या एवं दिनॉक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि– प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1– प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, पंचायती राज विभाग, लखनऊ ।

2– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामिग्री उ0प्र0 इलाहाबाद को 2 प्रति में इस आशय से कि संशोधित उपविधियों को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित कराकर उसकी एक प्रति प्रमुख सचिव,उ0प्र0 शासन, पंचायती राज विभाग, लखनऊ, आयुक्त, आगरा मण्डल आगरा, निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, जिलाधिकारी, मथुरा, तथा अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, मथुरा को शीघ्र भिजवाने का कष्ट करें ।

3– जिलाधिकारी, मथुरा ।

4– अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, मथुरा को उनके पत्रॉक 1749/एल.सी./2016–17, दिनॉक 15.02.2017के सन्दर्भ में

(के0राममोहन राव)
आयुक्त,
आगरा मण्डल, आगरा ।

Engineer Sb / C.C
कृ0 आवश्यक कार्यवाही करें

12.12.24
10.2017